

# पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक: राजुवास/बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच. प्रवेश/2017-18/1275

दिनांक 08.08.2017

## बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच. में प्रवेश आबंटन प्रक्रिया के क्रम में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन (विस्तृत विज्ञप्ति संख्या-1)

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के सक्षम अनुमति प्राप्त संघटक एवं सम्बद्ध प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजों में उपलब्ध स्टेट कोटा सीटों पर 5½ वर्षीय बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम (सत्र 2017-18) में प्रवेश आबंटन राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित आर.पी.वी.टी.-2017 के परिणाम के आधार पर, ऑनलाईन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन उपरान्त बनी, राजस्थान स्टेट मेरिट सूची एवं वर्तमान में लागू राज्य आरक्षण नीति के अनुसार किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के इस क्रम में केवल राजस्थान मूलनिवास के प्रवेश योग्य इच्छुक सभी श्रेणियों के आर.पी.वी.टी.-2017 में प्रविष्ट परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.rajuvas.org](http://www.rajuvas.org) पर उपलब्ध विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 14/08/2017 से 19/08/2017 तक आवश्यक रूप से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। ऑनलाईन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 500/- रुपये (बैंक चार्ज 50 रु. अतिरिक्त) राजस्थान में स्थित ICICI बैंक की शाखा में बैंक चालान द्वारा जमा करवाना होगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 10/08/2017 से उपलब्ध रहेगा।

वर्तमान में इस प्रवेश प्रक्रिया में पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में विभिन्न श्रेणियों हेतु उपलब्ध 68 राजस्थान स्टेट कोटा सीटों (48 रेग्यूलर एवं 20 पेमेन्ट सीट्स) एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज-अरावली वेटरनरी कॉलेज, सीकर में विभिन्न श्रेणियों हेतु उपलब्ध 21 राजस्थान स्टेट कोटा सीटों पर प्रवेश आबंटन सीटों की उपलब्धता तक किया जाएगा। सत्र 2017-18 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व यदि किसी अन्य संघटक एवं सम्बद्ध प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज को सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली/केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम अनुमति प्रदान की जाती है, तो इन कॉलेजों में भी इस ऑनलाईन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्रवेश योग्य आर.पी.वी.टी.-2017 के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश आबंटन किया जाएगा।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन में उक्त कार्यक्रम अनुसार भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यह माना जायेगा कि वे उक्त पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय के किसी भी संघटक एवं सम्बद्ध प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजों में सत्र 2017-18 में प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं हैं अतएव उन्हें सत्र 2017-18 की प्रवेश आबंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी केवल सम्बन्धित अभ्यर्थी की ही होगी।

**RPVT-2017 के वे अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में प्रवेश आबंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किये जायेंगे जिन्होंने विज्ञप्ति संख्या-1 के अनुसार अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अंतिम रूप से प्रस्तुत (Submit) नहीं किया है।**

ऑनलाईन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन उपरान्त प्रवेश आबंटित अभ्यर्थियों अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिये गए कार्यक्रम अनुसार अन्य सभी औपचारिकताएँ (आवश्यक/निर्देशित शुल्क एवं प्रवेश सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज आदि जमा करवाना) प्रवेश प्रक्रिया के समय ही पूर्ण करनी होंगी, इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। इसके अभाव में उसका प्रवेश आबंटन निरस्त मानते हुए इस रिक्त सीट पर मेरिट में अगले प्रवेश योग्य अभ्यर्थी को प्रवेश आबंटित कर दिया जायेगा।

**पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में नियमित सीट आबंटित छात्र-छात्राएँ**— सभी सीट आबंटित परीक्षार्थियों को काउंसलिंग दिनांक पर सीट आबंटन के समय ही आवश्यक रूप से फीस की राशि काउंसलिंग स्थल पर नकद जमा करवानी होगी। फीस हेतु चैक, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, आर.टी.जी. एस./एन.ई.एफ.टी. अंतरण इत्यादि स्वीकार नहीं होंगे। इस महाविद्यालय में वर्तमान में रेग्यूलर सीट आबंटित सामान्य केटेगरी छात्र हेतु लगभग रु. 17000/—(सत्रह हजार रुपये), सामान्य केटेगरी छात्रा व अन्य सभी केटेगरीज के छात्र-छात्राओं हेतु लगभग रु. 7000/—(सात हजार रुपये) शुल्क निर्धारित है।

**पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में पेमेन्ट सीट आबंटित छात्र-छात्राएँ**— पेमेन्ट सीट आबंटित अभ्यर्थियों को सुरक्षा निधि के रूप में रु. 25,000/— (पच्चीस हजार रुपये) काउंसलिंग दिनांक को सीट आबंटन के समय ही “डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड ऐनिमल साइंस, बीकानेर” के नाम एवं बीकानेर में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में काउंसलिंग स्थल पर जमा करवाने होंगे। पेमेन्ट सीट फीस की शेष राशि रु. 1,75,000/—(एक लाख पच्चहत्तर हजार रुपये) आवश्यक रूप से नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एवं नियमित शुल्क सामान्य केटेगरी छात्र- लगभग रु. 17000/—(सत्रह हजार रुपये), सामान्य केटेगरी छात्रा व अन्य सभी केटेगरीज के छात्र-छात्राएँ— लगभग रु. 7000/—(सात हजार रुपये) नगद राशि के रूप में दिनांक 31.08.2017 तक आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करवाने होंगे।

सीट आबंटित छात्र-छात्राओं द्वारा निर्धारित सभी शुल्क उक्तानुसार जमा नहीं करवाने की स्थिति में उनका सीट आबंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा। पेमेन्ट सीट आबंटित छात्र-छात्राओं द्वारा जमा करवाई गई सुरक्षा निधि राशि (रु. 25,000/—) पेमेन्ट सीट की बाकी फीस नियमित शुल्क सहित निर्धारित तिथि 31.08.2017 तक जमा नहीं करवाने की स्थिति में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा जब्त कर ली जायेगी। यह राशि किसी भी स्थिति में वापिस नहीं लौटाई जायेगी।

**विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी वेटरनरी कॉलेज— अरावली वेटरनरी कॉलेज, सीकर में प्रवेश आबंटित छात्र-छात्राएँ**— अरावली वेटरनरी कॉलेज, सीकर द्वारा क्रमांक 346/AVC/SIKAR/2017 dated 05/08/2017 से विश्वविद्यालय को प्रेषित फीस सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस कॉलेज की प्रथम वर्ष की ट्युशन फीस 5 लाख रुपये एवं कॉशन मनी 1 लाख रुपये है। अरावली वेटरनरी कॉलेज, सीकर में प्रवेश आबंटित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय ही काउंसलिंग स्थल पर सुरक्षा निधि के रूप में रु. 2,00,000/— (दो लाख रुपये) “डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड ऐनिमल साइंस, बीकानेर” के नाम एवं बीकानेर में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवश्यक रूप से जमा करवाने होंगे। फीस की शेष राशि आवश्यक रूप से काउंसलिंग तिथि से 3 दिवस के भीतर शाम 5.00 बजे तक अरावली वेटरनरी कॉलेज, सीकर में जमा करवाने होंगे। फीस की शेष राशि काउंसलिंग तिथि से 3 दिवस के भीतर शाम 5.00 बजे तक नहीं जमा करवाने की स्थिति में प्रवेश आबंटन के समय सुरक्षा निधि के रूप में जमा करवाई गई राशि रु. 2,00,000/— (दो लाख रुपये) राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा जब्त कर ली जायेगी। यह राशि किसी भी स्थिति में वापिस नहीं लौटाई जायेगी।

काउंसलिंग हेतु यह आमन्त्रण एवं काउंसलिंग में अभ्यर्थी की उपस्थिति उम्मीदवार को प्रवेश की गारंटी प्रदान नहीं करती है। केन्द्रीय प्रवेश मण्डल को परिस्थिति/आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के निर्धारित शिड्युल में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा व इसकी सूचना काउंसलिंग स्थल पर दे दी जायेगी। काउंसलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा। प्रवेश सम्बन्धी सभी अधिकार राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पास सुरक्षित रहेंगे।

**विशेष रूप से विकलांग उम्मीदवारों सहित सभी प्रवेश आबंटित उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रवेश प्रक्रिया में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार व्यक्तिगत रूप से भाग लें। प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.rajuvas.org](http://www.rajuvas.org) पर उपलब्ध विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति एवं इन्फोर्मेशन बुकलेट, बी.वी.एस.सी. एण्ड ए.एच. प्रवेश-2017 ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं निर्देशों की पूर्ण पालना करें।**

परीक्षार्थी काउंसलिंग के समय निम्नलिखित मूल अंकतालिकाएं एवं प्रमाणपत्र एवं उन सभी दस्तावेजों का स्वयं प्रमाणित एक फोटो स्टेट सेट भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें:

1.	मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि
2.	आर.पी.वी.टी-2017 ऑनलाईन एप्लीकेशन फॉर्म
3.	आर.पी.वी.टी-2017 एडमिट कार्ड
4.	आर.पी.वी.टी-2017 अंकतालिका
5.	राजस्थान स्टेट कोटा सीट पर प्रवेश हेतु भरा गया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र एवं बैंक चालान की युनिवर्सिटी कॉपी
7.	सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र
8.	ग्यारहवीं परीक्षा (10+1) की अंकतालिका
9.	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं अंग्रेजी विषयों के साथ उतीर्ण की गई सीनियर सैकण्डरी या उसके समकक्ष (10+2) परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र
10.	निर्धारित प्रफोर्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त राजस्थान का मूलनिवास प्रमाण पत्र
11.	अंतिम बार अध्ययन किए हुए विद्यालय/महाविद्यालय के छपे हुए प्रपत्र में प्रिंसिपल द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र)
12.	टी.सी. (यदि वर्तमान में कहीं प्रवेश नहीं लिया हुआ है तो)
13.	जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो। (राजस्थान राज्य के लिए अधिसूचित एस.सी., एस.टी., शिड्युल्ड ट्राइबल एरिया एवं ओ.बी.सी. केटेगरीज के अन्तर्गत राज्य की लिस्ट में अधिसूचित जातियों के नेचूरल बॉर्न अभ्यर्थियों हेतु)। प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाने वाला ओ. बी.सी. नोन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। साथ ही यह प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित मान्य अवधि के अन्दर होना चाहिए। शिड्युल्ड ट्राइबल एरिया का निवासी होने का प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 में दिये गए शिड्युल्ड एरिया में निवास संबंधी स्पष्टीकरण अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।
14.	आय प्रमाण पत्र नोन-क्रीमीलेयर ओ.बी.सी. केटेगरी के अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक रूप से अपने पिता एवं माता का अलग-अलग, वित्तीय वर्ष 2016-17 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल आय प्रमाणपत्र प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। सेवारत कर्मचारियों द्वारा फॉर्म नं. 16 एवं निजी व्यवसायी अभिभावकों द्वारा आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।
15.	फिजिकली हेन्डीकेप्ड प्रमाण पत्र-यदि लागू हो तो। इस केटेगरी के अर्न्तगत प्रवेश भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित MSVE-2016 में दिये गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इस केटेगरी के अन्तर्गत प्रवेश इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिजिकल डिस्पेबिलिटी प्रमाण-पत्र, जो कि तीन महीने से पुराना नहीं हो, एवं जिसमें फिजिकल डिस्पेबिलिटी का वास्तविक प्रतिशत (सीमा नहीं) स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक है, इसके अभाव में वे इस श्रेणी में प्रवेश के योग्य नहीं होंगे एवं उन्हें उनकी मूल केटेगरी में प्रवेश दिया जाएगा।
16.	विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध सभी सम्बन्धित परिशिष्ट (Annexures) पूर्णतया भरकर लावें।
नोट:-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यदि अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज वर्तमान में किसी अन्य प्रवेशित महाविद्यालय में जमा हैं तो इस आशय का सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का विस्तृत प्रमाण-पत्र मूल रूप में आवश्यक रूप से प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना होगा। उस महाविद्यालय में जमा सभी प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां आवश्यक रूप से काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी एवं प्रवेश आबंटन होने की स्थिति में प्रवेश पश्चात् सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज आदि महाविद्यालय में आवश्यक रूप से दिनांक 01.09.2017 तक जमा करवानी होगी, अन्यथा अभ्यर्थी का प्रवेश आबंटन निरस्त कर सम्बन्धित सीट पर अन्य पात्र उम्मीदवार को प्रवेश आबंटित कर दिया जाएगा।</li> <li>❖ प्रवेशित अभ्यर्थियों की नियमित कक्षाएँ दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ होगी।</li> </ul>

चेयरमैन  
केन्द्रीय स्नातक प्रवेश मण्डल

Uploaded on 09/08/2017